

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—76/2022 (2022/184) प्रार्थना पत्र

### अनवान

1. बंशीलाल पिता किशनलाल ब्राह्मण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. शान्तिलाल पिता किशनलाल ब्राह्मण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नंदलाल पिता किशनलाल ब्राह्मण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. प्रकाश पिता किशनलाल ब्राह्मण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. गीता पत्नि किशनलाल ब्राह्मण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

### प्रार्थीगण

### बनाम

1. शिवलाल पिता बंशीलाल ब्राह्मण निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. राजमणी पत्नि रामगोपाल पुत्री प्रहलादराय ब्राह्मण निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा
3. भगवतीदेवी पत्नि प्रभुलाल पुत्री प्रहलादरा ब्राह्मण निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा
4. कंचनदेवी पत्नि गोपाल ब्राह्मण निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
5. कैलाश पिता रामपाल ब्राह्मण निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
6. विजय पिता रामपाल ब्राह्मण निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
7. नारायण पिता रामपाल ब्राह्मण निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
8. राधेश्याम पिता रामपाल ब्राह्मण निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

### विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. हरीश टेलर—

प्रार्थीगण अधिवक्ता

### निर्णय

दिनांक 28.06.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम रेवाड़ा पटवार हल्का बोरियापुरा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण खातेदारी अधिकार के अधिकार एवं कब्जे आराजी संख्या 143 रकबा 0.02 है0 गै.मु.आचा, आराजी संख्या 144 रकबा 1.30 है0, आराजी संख्या 145 रकबा 0.34 है0, आराजी संख्या 146 रकबा 0.50 है0 कुल कित्ता 4 कुल रकबा 2.16 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 115 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते हैं। प्रार्थीगण ने दिनांक



15.04.2022 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 06.06.2022 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1, 2, 4, 5 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही की गई एवं विपक्षी संख्या 3, 6, 7, 8 के विरुद्ध प्रार्थी अधिवक्ता कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। प्रार्थीगण खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानूनन स्वीकार योग्य नहीं है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

### आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रेवाड़ा पटवार हल्का बोरियापुरा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण खातेदारी अधिकार के अधिकार एवं कब्जे आराजी संख्या 143 रकबा 0.02 है0 गै.मु.आचा, आराजी संख्या 144 रकबा 1.30 है0, आराजी संख्या 145 रकबा 0.34 है0, आराजी संख्या 146 रकबा 0.50 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.16 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 115 पर दर्ज होकर स्थित है। जिसकी पत्थरगढी कराये जाने हेतु सम्बधित भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 500/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर में दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।



*(Signature)*  
28-06-2022  
(सुन्दरलाल बम्बोडा)  
उपखण्ड अधिकारी  
रायपुर जिला तहसील बाड़ा

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—76 / 2022 (2022 / 184) प्रार्थना पत्र

### अनवान

1. बंशीलाल पिता किशनलाल ब्राह्मण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. शान्तिलाल पिता किशनलाल ब्राह्मण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नंदलाल पिता किशनलाल ब्राह्मण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. प्रकाश पिता किशनलाल ब्राह्मण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. गीता पत्नि किशनलाल ब्राह्मण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

### प्रार्थीगण

### बनाम

1. शिवलाल पिता बंशीलाल ब्राह्मण निवासी गंगापूर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. राजमणी पत्नि रामगोपाल पुत्री प्रहलादराय ब्राह्मण निवासी गंगापूर तहसील सहाड़ा
3. भगवतीदेवी पत्नि प्रभुलाल पुत्री प्रहलादरा ब्राह्मण निवासी गंगापूर तहसील सहाड़ा
4. कंचनदेवी पत्नि गोपाल ब्राह्मण निवासी गंगापूर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
5. कैलाश पिता रामपाल ब्राह्मण निवासी गंगापूर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
6. विजय पिता रामपाल ब्राह्मण निवासी गंगापूर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
7. नारायण पिता रामपाल ब्राह्मण निवासी गंगापूर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
8. राधेश्याम पिता रामपाल ब्राह्मण निवासी गंगापूर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

### विपक्षीगण

### प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :-तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढी कराने बाबत

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थीगण के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 28.06.2022 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम रेवाड़ा पटवार हल्का बोरियापुरा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण खातेदारी अधिकार के अधिकार एवं कब्जे आराजी संख्या 143 रकबा 0.02 है0 गै. मु.आचा, आराजी संख्या 144 रकबा 1.30 है0, आराजी संख्या 145 रकबा 0.34 है0, आराजी संख्या 146 रकबा 0.50 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.16 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 115 पर दर्ज होकर स्थित है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 500/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/-रूपये सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 28.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।



*(Signature)*  
28-06-2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

उपखण्ड अधिकारी  
रायपुर, जिला भीलवाड़ा